

06.10.2025:—पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी वकील मूल वादपत्र अदम पैरवी / अदम हाजरी हो गया। मूल वाद पत्र डिक्री होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

10/2
बहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़